माननीय श्री राधा चरण साह, स0वि0प0 द्वारा 197 सत्र में पूछा जानेवाला ऑनलाइन तारांकित प्रश्न सं0–1 / 197 / 898 का उत्तर प्रतिवेदन।

वित्त विभाग (वितरण शाखा) 08 APR 2021 बिहार, पटना

क्र0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी बैंकों को द्वारा सहायक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में कोताही की जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(ख)	क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 और वर्ष 2020–21 में राज्य में ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या था उसके विरूद्ध बैंकों द्वारा कितने लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया ;	राज्य में कार्यरत बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1,45,000 (एक लाख पैतालिस हजार) करोड़ रूपये के वार्षिक साख लक्ष्य के विरूद्ध 1,05,400 (एक लाख पाँच हजार चार सौ) करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,54,500 (एक लाख चौवन हजार पाँच सौ) करोड़ रूपये के वार्षिक साख लक्ष्य के विरूद्ध 31 दिसम्बर 2020 तक 83,674 (तिरासी हजार छः सौ चौहत्तर) करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया है।
(ग)	क्या यह सही है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी की कृषि उप समिति की बैठक में भी इस संबंध में बैंकों के समक्ष सुधार के लिए मुद्दे उठाए गये ;	स्वीकारात्मक।
(घ)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या बैंकों के इस रवैये को वित्त विभाग एवं सरकार गंभीरता से लेना चाहती है ताकि सहायक कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधा प्रदान की गति तेज हो सके ?	बैंकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा समय–समय पर निदेशित किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, कृषि संबंधी उपसमिति तथा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के0सी0सी0 के वितरण की सतत् समीक्षा भी करती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के पदाधिकारी भी शामिल होते हैं और उनके द्वारा भी बैंकों को लक्ष्यानुरूप प्रदर्शन करने हेतु निदेशित किया जाता है।

बिहार सरकार

सांख्यिक वित्त निदेशालय

ज्ञापांकः पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः–**प्रशाखा पदाधिकारी**, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को माननीय स0वि0प0 श्री राधा चरण साह के ऑनलाइन तारांकित प्रश्न सं0–1 / 197 / 898 के प्रसंग में 10 प्रति में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(चन्द्र प्रकाश)

उप निदेशक

ज्ञापांकः पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः—**उप सचिव**, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(चन्द्र प्रकाश)

उप निदेशक

ज्ञापांकः पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः—**उप सचिव,** विधायी कार्य, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(चन्द्र प्रकाश)

उप निदेशक

ज्ञापांकः 840 पटना, दिनांकः 7/4/2021

प्रतिलिपिः—**श्रीमती रश्मि रेखा,** सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद् की वेव—साईट पर उपलब्ध कराया जाय।

(चन्द्र प्रकाश)

उप निदेशक